[2019] 13 एस. सी. आर. 442

ए.

एम. हरिहरसुधन

वी.

आर. करमेगम और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 8069)

बी.

अक्टूबर 17,2019

[मोहन एम. शांतनागौदर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) सी अधिनियम, 1992:

एसएस। 7 , 10 और 14-क्या अधिनियम आक्षेपित आदेश द्वारा सिविल न्यायालय उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करता है, यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि

सिविल अधिकारिता पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन चूंकि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम संपत्ति को हुए नुकसान के लिए डी मुआवजे का दावा करने का एक विशेष तरीका प्रदान करते हैं, इसलिए मुआवजे का दावा करने के लिए अन्य सभी तरीकों को निहितार्थ से बाहर रखा गया था-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा केवल एक अतिरिक्त उपाय की प्रकृति में है। - अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर नहीं करता है - एस. 14 मान्यता देता है

ई.

हर्जाने के लिए एक मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट की समवर्ती क्षेत्राधिकार-तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992 क्षेत्राधिकार।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. अधिकारिता के निष्कासन का प्रश्न

एफ.

विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों द्वारा दीवानी न्यायालय, जब तक कि नीचे दी गई शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जहां कानून विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को अंतिम रूप देता है, वहां दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपाय है जो दीवानी अदालतें आम तौर पर जी मुकदमे में करती हैं। जहां कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं है, वहां उपचारों की जांच और इरादे का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। बाद के मामले में

यह देखना आवश्यक है कि क्या क़ानून एक विशेष अधिकार या देयता पैदा करता है और इसके लिए प्रावधान करता है

एच.

अधिकार या दायित्व का निर्धारण और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या सिविल न्यायालयों में कार्यों से जुड़े उपचार उक्त क़ानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं या नहीं। [पैरा 6] [448-ई-जी; 449-बी-सी] धूलाभाई बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [1968] 3 एससीआर

बी.

662 पीछा किया।

2. इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, जो 1992 में अधिनियमित किया गया था, शुरू में केवल नुकसान और नुकसान से संबंधित था।

सार्वजनिक संपत्ति। इस अधिनियम को तमिलनाडु सार्वजनिक सी संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1994 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसे सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में मुआवजा प्रदान करने के लिए 09.08.1994 पर तमिलनाडु सरकार के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 09.04.1994 पर लागू हुए, अर्थात इससे पहले कि

डी.

बाद में नियमों में बनाया गया, जी. ओ. सुश्री संख्या 1285, गृह (न्यायालय IV) दिनांक 24.10.1994 के अनुसार, यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करने में एक निरीक्षण किया है, और इसके दावे और मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान करने में विफल रही है। सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में नुकसान। ए.

ई.

नियमों को पूरी तरह से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने नियमों को संशोधित अधिनियम के अनुरूप लाने और उन्हें उचित रूप से लागू करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उचित रूप से संशोधन करने के लिए एक निरीक्षण किया है। [पैरा 9] [453-बी-डी, जी]

एफ.

3. भले ही यह माना जाता है कि नियम मोटे तौर पर सार्वजनिक और साथ ही निजी संपत्ति को नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं, अधिनियम की योजना में इसकी परिकल्पना नहीं की गई है। दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का निष्कासन। [पैरा 10] [453-एच; 454-ए] 4. नियमों को विस्तार से पढ़ने पर, शाब्दिक रूप से नहीं, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, नियमों के साथ, दो तरीकों से मुआवजे के पुरस्कार का प्रावधान करता है। सबसे पहले, यह अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के

लिए मुकदमे के अंत में दिया जा सकता है, या आरोपी पर लगाए गए जुर्माने में से भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।

ए. यह Cr.P.C की धारा 357 के तहत मुआवजा देने की आपराधिक अदालत की शक्ति के समान है।

नियमों के तहत परिकल्पित संक्षिप्त जांच के बाद, धारा 10 के तहत परिकल्पित आवेदन पर मुआवजा दिया जा सकता है। यह दावा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परिकल्पित संक्षिप्त प्रक्रिया के समान है।

बी.

इसके तहत मुआवजा। यह इंगित करेगा कि अधिनियम और नियम संपत्ति के नुकसान और क्षति के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए एक विशिष्ट उपाय प्रदान करते हैं। [पैरा 11]

5. यह स्पष्ट है कि एस। 7 आपराधिक कार्यवाही के बाद शुरू किए गए दीवानी मुकदमे की संभावना को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है

एस.

अधिनियम के तहत, उसी मामले से संबंधित, जहां दीवानी मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायालय मुआवजा दे रहा है, तो अधिनियम की धारा 7 के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या बरामद की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह कोई कारण नहीं है कि अधिनियम बाद में दीवानी मुकदमा दायर करने की अनुमति देगा, जबकि

(घ) दीवानी न्यायालय की समवर्ती अधिकारिता को छोड़कर। इसके अलावा, मुआवजे का दावा करने के संक्षिप्त उपाय की भी परिकल्पना की गई है।

अधिनियम की धारा 10 के तहत, नियमों के साथ पढ़ा जाता है, नुकसान के लिए मुकदमा दायर करने से नहीं रोकता है। धारा 14 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यह अधिनियम उस समय लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त है और उसका अपमान नहीं करता है। यह आगे आदेश देता है कि अधिनियम में ई निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को जांच के माध्यम से या अन्यथा किसी भी कार्यवाही से छूट नहीं देगा जो अधिनियम के तहत उसके खिलाफ शुरू की जा सकती है। " लागू कानून में सामान्य कानून शामिल होगा, जिसके तहत नुकसान के यातनापूर्ण उपचार का दावा किया जा सकता है, जिसे केवल दीवानी अदालत में ही अपनाया जा सकता है। एफ इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, धारा 14 के माध्यम से, स्पष्ट रूप से दीवानी न्यायालय के समवर्ती अधिकार क्षेत्र को मान्यता देता है -

हर्जाने के लिए एक मुकदमा दायर करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 अधिनियम की धारा 14 के समान है, जिसमें प्रावधान है कि 1986 का अधिनियम लागू अन्य कानूनों के अतिरिक्त है और उनका अपमान नहीं करता है। [पैरा 13 और 14]

जी.

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. भारत संघ [2019] 8 एस. सी. सी. 416; कर्नाटक राज्य बनाम। विश्वभारती हाउस बिल्डिंग कॉप। सोसायटी (2003) 2 एस. सी. सी. 412 [2003] 1 एस. सी. आर. 397; भारतीय चिकित्सा

एम. हरिहरसुधन बनाम आर. करमेगम और ओआरएस।

ए.

एसोसिएशन वी। वी. पी. शांता (1995) 6 एससीसी 651: [1995] 5 पूरक। एस. सी. आर. 110-निर्भर।

6. अधिनियम की धारा 14, लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अलावा और उनका अपमान नहीं करने के कारण, एक पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम की धारा बी 10 के तहत परिकल्पित उपचार का लाभ उठाने के बजाय राहत के लिए दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है। स्पष्ट रूप से, अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा केवल एक अतिरिक्त उपाय की प्रकृति में है जिसे उसी राहत के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने के स्थान पर आगे बढ़ाया जा सकता है। [पैरा 14] 7. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि चूंकि धारा 10 के तहत मुआवजे के दावे का निर्धारण केवल संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए यह उन उपायों के पूर्ण विकल्प के रूप में नहीं खड़ा होता है जिन्हें एक दीवानी अदालत में चलाया जा सकता है और एक पूर्ण-स्तरीय मुकदमे के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, भले ही दीवानी अदालत की कुछ शक्तियां निर्धारित प्राधिकारी को प्रदान की जाती हैं। अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावे का निर्धारण करना। इस प्रकार,

डी.

अधिनियम सामान्य कानून के तहत हर्जाने के दावे के स्थान पर खड़ा नहीं होता है और एक दीवानी मुकदमे में दीवानी अदालत के समक्ष निर्धारण के लिए आ सकता है। यह अधिनियम दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर नहीं करता है।

[पैरा 15 और 16]

ई.

मामला कानून संदर्भ

1968 (3) एससीआर 662

पीछा किया।

पैरा 4.2

[2019] 8 एस. सी. सी. 416

उस पर भरोसा करें

पैरा 14.1

[2003] 1 एससीआर 397

उस पर भरोसा करें

पैरा 14.1

एफ.

[1995] 5 पूरक। एस. सी. आर 110 पर निर्भर

पैरा 14.2 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8069 2019 से।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के निर्णय और आदेश 29.03.2019 से ए. एस. (एम. डी.) 2018 की सं. 143।

जी.

वी. गिरि, वीरा कथिरावन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मुथु सरन, एम. पी.

पार्थिबन, ए. एस. वैरावन, हार्दिक गौतम, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। जी. शिवबलमुरुगन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई। 2. तत्काल अपील ए. एस. में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश बी दिनांक 29.03.2019 से उत्पन्न होती है। (एम. डी.) 2016 की ओ. एस. संख्या 186 में असफल प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए 2018 की संख्या 143 (प्रत्यर्थियों)

इसमें), जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर हर्जाने के लिए मुकदमा प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मदुरै द्वारा दिनांक 03.04.2018 के आदेश के माध्यम से तय किया गया था।

सी.

3. इस अपील में संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा दायर हर्जाने का मुकदमा तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992 (संक्षेप में "अधिनियम") के आलोक में बनाए रखने योग्य है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अधिनियम दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है।

इस संबंध में, अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाए गए मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 अपीलार्थी मदुरै में एक होटल चलाता है। उन्होंने अपने पिता के स्वामित्व वाले भूखंड के बगल में एक भूखंड खरीदा था, जहाँ उन्होंने 2014 में निर्माण शुरू किया था। अपीलार्थी के पिता ने निषेधाज्ञा की राहत के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ 2014 का ओ. एस. संख्या 783 दायर किया, क्योंकि प्रतिवादी ई. संख्या 1 ने अपीलार्थी की संपत्ति के सामने एक निर्माण करना शुरू कर दिया था जिससे अपीलार्थी के पिता की संपत्ति तक मुक्त पहुंच बाधित हो गई थी। यद्यपि उक्त मुकदमे में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने परवाह किए बिना अपना निर्माण पूरा किया। बाद में, मुकदमा दायर करने से व्यथित, प्रतिवादी संख्या 1 ने कुछ गुर्गों के साथ अपीलार्थी के घर पर कुछ निर्माण सामग्री को क्षतिग्रस्त कर दिया।

एफ.

संपत्ति, जिससे रुपये का नुकसान हुआ। 2.27 लाख। परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने पुलिस के समक्ष पहली सूचना दर्ज की और प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ एक अपराध दर्ज किया गया, जिसने बाद में अपीलार्थी के होटल पर पथराव करके शो-केस ग्लास को और क्षतिग्रस्त कर दिया और होटल में एक कार चलाकर उसके स्वचालित कांच के दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया। जी उत्तरदाता संख्या। 2 और 3 लोग

होटल में घुस गए और रुपये से अधिक की नकदी ले गए। 1 लाख। अपीलार्थी ने रुपये खर्च किए। 73,000 / - अपने घायल कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च पर, और बाद में 2016 का ओ. एस. नंबर 186 दायर किया।

एम. हरिहरसुधन बनाम आर. करमेगम और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

अधिनियम की धारा 10 और 11 के साथ-साथ तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) नियम, 1994 (संक्षेप में "नियम") के नियम 4 में संपत्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने के लिए अन्य सभी तरीकों को निहितार्थ द्वारा बाहर रखा गया था, और इस प्रकार दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को निहित रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पीड़ित, अपीलार्थी ने तत्काल अपील दायर की। 4. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरी ने तर्क दिया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से यह अभिनिर्धारित किया था कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था, लेकिन यह अभिनिर्धारित करने में गलती हुई कि अधिनियम ने अनिवार्य रूप से दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया-वास्तव में, ई. इसके प्रावधानों से संकेत मिलता है कि ऐसी अधिकारिता अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचारों के साथ-साथ मौजूद है।

उसी मामले से संबंधित बाद के दीवानी मुकदमे में क्षतिपूर्ति। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 7 (4) इस प्रकार एक दीवानी मुकदमा दायर किए जाने की संभावना को मान्यता देती है, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से मुआवजा देने के लिए दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि धारा 7 की योजना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "Cr.P.C") की धारा 357 का लगभग शाब्दिक पुनरुत्पादन थी, जो मुआवजे के भुगतान का आदेश देने के लिए एक आपराधिक अदालत जी की शक्ति से संबंधित है, लेकिन मुआवजे के लिए बाद में दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए भी जिम्मेदार है।
4.2 दूसरा, हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 14 की ओर आकर्षित किया गया था, जो अधिनियम के बाहर स्थापित कार्यवाही को बचाती है, यह तर्क देने के लिए कि एच 448

धारा 14 के तहत दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र भी बचा लिया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने धूलाभाई बनाम में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय का उल्लेख करते हुए जोर देकर कहा कि दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाने का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य, 1968 (3) एससीआर 662।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम और नियम एक स्व-निहित संहिता का गठन करते हैं और आवश्यक निहितार्थ द्वारा दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम मुआवजे के निर्धारण और भुगतान के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार धुलाभाई (उपरोक्त) में निर्णय पूरी तरह से लागू होगा, जहां यह भी माना गया था कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए जब एक क़ानून में विशेष रूप से पर्याप्त और पर्याप्त उपाय प्रदान किया जाता है जो सामान्य रूप से होगा

बी.

सी.

दीवानी अदालत में कार्रवाई से संबंधित। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि मुआवजा देने के लिए दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता दी जानी है तो अधिनियम और नियमों की योजना निरर्थक हो जाएगी।

डी.

6. यह विवादित नहीं है कि इसके तहत कोई एक्सप्रेस बार नहीं है

हर्जाने के लिए एक मुकदमे पर विचार करने के लिए दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र पर अधिनियम। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमें केवल यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आवश्यक निहितार्थ से वर्जित है। धुलाभाई (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत इस संबंध में प्रासंगिक हैं। विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों द्वारा दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को हटाने के प्रश्न पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के निष्कासन का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। हमारे सामने प्रश्न निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए, हमें केवल इस न्यायालय द्वारा धुलाभाई (ऊपर) में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख करने की आवश्यकता हैः

एफ.

" ... (1) जहां कानून विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को अंतिम रूप देता है, वहां दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपाय है जो दीवानी अदालतें आम तौर पर एक मुकदमे में करती हैं। हालाँकि, इस तरह के प्रावधान उन मामलों को बाहर नहीं करते हैं जहाँ विशेष अधिनियम के प्रावधान हैं।

जी.

जिनका अनुपालन नहीं किया गया है या सांविधिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है।

(2) जहाँ न्यायालय की अधिकारिता का एक स्पष्ट प्रतिबंध है, वहाँ यह पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जाँच

[मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

पर्याप्तता या प्रदान किए गए उपचारों की पर्याप्तता प्रासंगिक हो सकती है लेकिन दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है।

जहां कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं है, की परीक्षा

इरादे का पता लगाने के लिए उपचार और विशेष अधिनियम की योजना आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। बाद के मामले में यह देखना आवश्यक है कि क्या क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और इसके लिए प्रावधान करता है

बी.

अधिकार या दायित्व का निर्धारण और आगे यह निर्धारित किया गया है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या सामान्य रूप से उपचार किए जाते हैं।

सी.

दीवानी अदालतों में कार्रवाई से जुड़े कार्य उक्त क़ानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या नहीं।

एक्स एक्स एक्स

7. अधिनियम की धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ से संबंधित है, और धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। महत्वपूर्ण रूप से, उप-धारा (4) "संपत्ति" को किसी भी चल या अचल संपत्ति या मशीनरी के रूप में परिभाषित करती है जो किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में है, या उसके कब्जे में है, या उसके नियंत्रण में है, जिसमें एफ उप-धारा के खंड (ए) से (जे) के तहत सूचीबद्ध संस्थाएं, उदाहरण के लिए, केंद्र और राज्य सरकार, कोई स्थानीय प्राधिकरण और कोई भी संस्था,

चिन्ता, या उपक्रम। धारा 3,4 और 5 अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को निर्धारित करती है, जबकि धारा 6 जमानत देने से संबंधित है।

7.1 धारा 7, जो हमारे विवाद का केंद्र है, जी प्रजनन के योग्य हैः

" 7. क्षतिपूर्ति देने का आदेश। (1) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जुर्माने की सजा देते समय, न्यायालय निर्णय पारित करते समय, पूरे या बरामद जुर्माने के किसी भी हिस्से को लागू करने का आदेश दे सकता है।

ए.

(क) अभियोजन में उचित रूप से किए गए खर्चों का भुगतान करने में;

(ख) अपराध के कारण हुए किसी भी नुकसान या चोट के लिए किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान में;

(ग) किसी भी सड़क, पुल, नौगम्य चैनल सहित संपत्ति को प्रतिस्थापित करने या पूर्ववर्ती राज्य में पुनर्स्थापित करने में,

बी.

प्राकृतिक या कृत्रिम। (2) यदि जुर्माना किसी ऐसे मामले में लगाया जाता है जो अपील के अधीन है, तो इसके लिए अनुमत अवधि से पहले ऐसा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अपील प्रस्तुत करना अपील के निर्णय से पहले बीत चुका है, या यदि कोई अपील प्रस्तुत की जाती है।

सी.

(3) पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय इस धारा के तहत एक आदेश अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। (4) उसी मामले से संबंधित किसी भी बाद के दीवानी मुकदमे में मुआवजा देने के समय, न्यायालय इस धारा के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा।

डी.

(5) अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, जब कोई न्यायालय कोई सजा देता है, जिसका जुर्माना एक हिस्सा नहीं है, तो न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को निम्नलिखित के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दे सकता हैः

क्षतिपूर्ति, ऐसी राशि जो उस व्यक्ति को आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है जिसे नुकसान या चोट लगी है

ई.

ऐसा कार्य जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को इस तरह की सजा सुनाई गई है। (7. 2 स्पष्ट रूप से, धारा 7 (1) में यह प्रावधान है कि जहां अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय एफ दोषसिद्धि के बाद जुर्माने की सजा देता है, वह ऐसे जुर्माने को आंशिक या पूरी तरह से लागू करने का आदेश दे सकता है, अन्य बातों के साथ-साथ, अपराध से हुए किसी नुकसान या चोट के मुआवजे के भुगतान के लिए, जैसा कि खंड (बी) में उल्लेख किया गया है। उप-धारा (5), उसी समय, यह प्रावधान करती है कि यदि कोई न्यायालय अधिनियम के तहत सजा दे रहा है

केवल कारावास सहित, न्यायालय अभियुक्त को पीड़ित पक्ष को अलग से मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।

जी.

7.2. 1 इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 8 निर्दिष्ट करती है कि अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय से कम के किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं चलाया जा सकता है।

7.2. 2 धारा 7 (3) के अनुसार, धारा 7 के तहत एक आदेश जो

एच में उप-धारा (1) और (5) दोनों के तहत आदेश शामिल हैं, जो एम. हरिहरसुधन बनाम द्वारा भी दिए जा सकते हैं।

ए पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उप-धारा (4) है, जो विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि उसी मामले से संबंधित बाद के दीवानी मुकदमे में, यदि दीवानी अदालत मुआवजा दे रही है, तो वह अधिनियम की धारा 7 के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगी।

7.3 आगे बढ़ते हुए, धारा 9 में प्रावधान है कि अधिनियम में कुछ भी बी के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किसी राजनीतिक दल या सांप्रदायिक, भाषा या जातीय समूह द्वारा आयोजित किसी जुलूस, सभा, बैठक, आंदोलन, प्रदर्शन या किसी अन्य गतिविधि के दौरान किया गया है, न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध ऐसे पक्ष या समूह द्वारा भी किया गया है, जो इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी संपत्ति को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 7.4 धारा 10 (1) क्षति और हानि के मुआवजे के दावों से संबंधित है, जो क्षति या हानि से प्रभावित व्यक्ति द्वारा या खंडों में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

डी.

((क) धारा 2 (4) से (ञ) तक। उप-धारा (2) में प्रावधान है कि मुआवजे का दावा करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा जो निर्धारित किया जाए। 7.5 धारा 11 (1) में प्रावधान है कि संपत्ति को हुए नुकसान या नुकसान के मुआवजे के लिए प्रत्येक दावा प्राधिकरण को किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाए। उप-धारा (2) मुआवजे की मात्रा निर्धारित करते समय निर्धारित प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने वाले कारकों का प्रावधान करती है और उप-धारा (3) में प्रावधान है कि ऐसे प्राधिकारी को आवेदन पर निर्णय लेते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उप-धारा (4) निर्धारित प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान करती है जैसा कि

ई.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) शपथ पर साक्ष्य लेने, गवाहों की उपस्थिति को लागू करने, खोज एफ और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को पेश करने के उद्देश्य से और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

7.6 अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि निर्धारित प्राधिकारी

धारा 11 के तहत, दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने के बाद, कलेक्टर को राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, जो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसी तरह से जी की वसूली करेगा। धारा 12-ए धारा 11 के तहत एक आदेश के खिलाफ अपील के तरीके से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे प्राधिकरण को अपील की जा सकती है जो निर्धारित किया जा सकता है। उप-धारा (2) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और एच [2019] 13 एस. सी. आर. में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

कानून का कोई भी न्यायालय। धारा 13 राज्य सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

7.7 धारा 14 बचत प्रावधान है। चूँकि बहुत कुछ इस प्रावधान के इर्द-गिर्द घूमता है, हम इसे नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" 14. बचत हो रही है। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित के अतिरिक्त होंगे:

बी.

और उस समय लागू किसी अन्य कानून का अनादर नहीं करते हुए और इसमें निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को जांच के माध्यम से या अन्यथा किसी भी कार्यवाही से छूट नहीं देगा जो इस अधिनियम के अलावा उसके खिलाफ शुरू की जा सकती है।

7.8 धारा 15, अधिनियम का अंतिम प्रावधान, तमिल नाडु सार्वजनिक संपत्ति (विनाश और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1982 को निरस्त करता है। 8. अधिनियम की धारा 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं। नियम 3 में कहा गया है कि कौन खंडों में निर्दिष्ट प्राधिकरण के स्वामित्व या कब्जे या नियंत्रण में संपत्ति को नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है।

धारा 2 (4) के डी. ए. से (जे) तक, और किस तरीके से। महत्वपूर्ण रूप से, नियम 4 राजस्व प्रशासन आयुक्त या किसी भी प्राधिकरण को निर्धारित करता है।

नियम 3 के तहत किए गए मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के लिए उसके द्वारा अधिकृत। उप-नियम (2) में प्रावधान है कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या नुकसान के मुआवजे की मात्रा के बारे में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। उप-नियम (3) जनता को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजे का निर्धारण करते समय कुछ अतिरिक्त कारकों पर विचार करने के लिए निर्धारित करता है।

संपत्ति। 8.1 नियम 5 से 10 प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं -

जांच, जिसमें दोषों का सुधार, लिखित बयान दाखिल करना, पक्षों को एफ नोटिस, समन जारी करना और यदि आवश्यक हो तो कानूनी व्यवसायियों की उपस्थिति शामिल है। नियम 11 जांच अधिकारी को क्षतिग्रस्त संपत्ति का निरीक्षण करने की शक्ति देता है, जबकि नियम 12 क्षतिग्रस्त चल संपत्ति को प्राधिकरण के समक्ष पेश करने की अनुमति देता है। नियम 13 पूछताछ करने वाले प्राधिकारी के यात्रा खर्चों से संबंधित है। नियम 14 किसी भी आवश्यक व्यक्ति की संक्षिप्त जी परीक्षा का प्रावधान करता है। नियम 15 में कहा गया है कि पूछताछ करने वाले प्राधिकारी को प्रत्येक गवाह के साक्ष्य के सार का एक ज्ञापन दर्ज करना होता है। नियम 16 में प्रावधान है कि पूछताछ करने वाला प्राधिकारी जांच से संबंधित

किसी भी मामले के संबंध में विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से सहायता ले सकता है। नियम 17 से 19 में पूछताछ की आवश्यकता है

एम. हरिहरसुधन बनाम आर. करमेगम और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

तय किए जाने वाले बिंदुओं का रिकॉर्ड तैयार करने का अधिकार, जांच की कार्यवाही की एक संक्षिप्त डायरी ए बनाए रखना, और प्रत्येक बिंदु पर अपने निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप से दर्ज करना और ऐसे निष्कर्षों के कारणों को दर्ज करना। सी. पी. सी. के अनुप्रयोग से संबंधित नियम 20 को जी. ओ. सुश्री संख्या 1285, गृह द्वारा हटा दिया गया था। (कोर्ट IV), दिनांक 24.10.1994। नियम 21, अंतिम नियम, मुआवजे की वसूली के तरीके से संबंधित है।

बी.

9. इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 1992 में अधिनियमित किया गया अधिनियम, शुरू में केवल सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान और नुकसान से संबंधित था। इस अधिनियम को तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1994 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसे तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

सी.

09.08.1994 , सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में भी क्षतिपूर्ति प्रदान करना। अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 09.04.1994 पर लागू हुए, यानी अधिनियम के संशोधन से पहले। यद्यपि बाद में नियमों में कुछ संशोधन किए गए थे, जि. ओ. सुश्री संख्या 1285, गृह (न्यायालय IV) दिनांक 24.10.1994 के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने नियम, डी में संशोधन करने में लापरवाही की है और सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में नुकसान के दावे और मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान करने में विफल रही है। उदाहरण के लिए, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, नियम 3, जो मुआवजे का दावा करने का अधिकार निर्धारित करता है, केवल मुआवजे के लिए आवेदनों पर विचार करना जारी रखता है।

वह प्राधिकारी निर्धारित करता है जिसके समक्ष मुआवजे का दावा किया जाना है, यह स्पष्ट नहीं करता है कि निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए नुकसान का दावा करने के लिए किसके समक्ष आवेदन किया जाना चाहिए। साथ ही, नियम 4 (2) में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजे का आकलन अंतिम होगा, जिसमें निजी संपत्ति के संबंध में नुकसान के भाग्य का कोई उल्लेख नहीं होगा। इसी तरह, नियम 4 (3) एफ सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजे के आकलन का ध्यान रखता है, और इस बात से संबंधित नहीं है कि निजी संपत्ति के मामले में नुकसान का आकलन कैसे किया जाए। नियमों को पूरी तरह से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने नियमों को संशोधित अधिनियम के अनुरूप लाने और उन्हें उचित रूप से लागू करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उचित रूप से संशोधन करने के लिए एक निरीक्षण किया है। 10. हालांकि, भले ही हम यह मान लें कि नियम मोटे तौर पर जनता के साथ-साथ एच 454 को नुकसान या नुकसान के मुआवजे का दावा करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करते हैं।

एक निजी संपत्ति, हम अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क में बल पाते हैं कि अधिनियम की योजना दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाने की परिकल्पना नहीं करती है। 11. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियमों को व्यापक रूप से पढ़ना, शाब्दिक रूप से नहीं, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, नियमों के साथ, दो तरीकों से बी मुआवजे के पुरस्कार का प्रावधान करता है। सबसे पहले, यह अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए मुकदमे के अंत में दिया जा सकता है, या आरोपी पर लगाए गए जुर्माने में से भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है। यह आपराधिक न्यायालय की धारा 357 के तहत मुआवजा देने की शक्ति के समान है। दूसरा, नियमों के तहत सी की परिकल्पना के अनुसार संक्षिप्त जांच के बाद, धारा 10 के तहत परिकल्पित आवेदन पर मुआवजा दिया जा सकता है। यह कुछ हद तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में "1986 अधिनियम") के तहत परिकल्पित संक्षिप्त प्रक्रिया के समान है, जिसके तहत मुआवजे का दावा किया जाता है। यह इंगित करेगा कि अधिनियम और नियम संपत्ति के नुकसान और क्षति के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए एक विशिष्ट उपाय प्रदान करते हैं। यह इस आधार पर था कि प्रत्यर्थियों के लिए डी विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दीवानी अदालत को हर्जाने के लिए एक मुकदमे का फैसला करने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है।

12. लेकिन इस तरह के तर्क को खारिज किया जाना चाहिए। हम सबसे पहले अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमे के बाद धारा 7 के तहत आपराधिक अदालत द्वारा पुरस्कार या मुआवजे के प्रावधान के पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रावधान स्पष्ट रूप से संभावना को पहचानता है

ई.

उसी मामले से संबंधित अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही के बाद स्थापित एक दीवानी मुकदमे का, जहां दीवानी मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायालय मुआवजा दे रहा है, तो अधिनियम की धारा 7 के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या बरामद की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह तर्क के लिए खड़ा नहीं है कि अधिनियम बाद में एक दीवानी दाखिल करने की अनुमति देगा।

एफ.

दीवानी न्यायालय की समवर्ती अधिकारिता को छोड़कर मुकदमा। 13. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10 के तहत परिकल्पित मुआवजे का दावा करने का संक्षिप्त उपाय भी, नियमों के साथ पढ़ा जाता है, नुकसान के लिए मुकदमा दायर करने से नहीं रोकता है। अधिनियम की धारा 14 इस संबंध में महत्वपूर्ण है, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि अधिनियम उस समय लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त है, और जी का अपमान नहीं है। यह आगे आदेश देता है कि अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को छूट नहीं देगा।

जांच के माध्यम से या अन्यथा किसी भी कार्यवाही से जो अधिनियम के तहत उसके खिलाफ शुरू की जा सकती है। लागू कानून में सामान्य कानून शामिल होगा, जिसके तहत नुकसान के

यातनापूर्ण उपचार का दावा किया जा सकता है, जिसका उपचार केवल दीवानी अदालत में ही किया जा सकता है।

[मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, धारा 14 के माध्यम से, स्पष्ट रूप से नुकसान के लिए एक मुकदमे पर विचार करने के लिए दीवानी न्यायालय के समवर्ती क्षेत्राधिकार को मान्यता देता है। 14. इस संबंध में, 1986 के अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जो अधिनियम की धारा 14 के समान है, जिसमें प्रावधान है कि 1986 का अधिनियम लागू अन्य कानूनों के अतिरिक्त है और उनका अपमान नहीं करता हैः

" 3. किसी अन्य कानून के अपमान में कार्य न करें। इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।

विश्वभारती हाउस बिल्डिंग कॉप। सोसायटी, (2003) 2 एस. सी. सी. 412, हमारी पर्याप्त सेवा करता है, जहाँ इस न्यायालय ने समझाया कि 1986 का अधिनियम ई करता है दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिस्थापित नहीं करनाः " 46. अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के कारण, यह स्पष्ट है कि इसके तहत प्रदान किए गए उपचार अन्य कानूनों के तहत प्रदान किए गए उपायों के अपमान में नहीं हैं। उक्त अधिनियम सिविल न्यायालयों या अन्य के अधिकार क्षेत्र को पूरक और प्रतिस्थापित नहीं करता है।

एफ.

वैधानिक प्राधिकरण।

एक्स एक्स एक्स

53. ..... इसके अलावा, मुख्य रूप से मंचों/आयोगों का अधिकार क्षेत्र हर्जाना देना है। घटना में, एक शिकायतकर्ता को लगता है कि उसके पास एक दीवानी मामले में बेहतर और प्रभावी उपचार होगा।

जी.

न्यायालय चूंकि उसे निषेधाज्ञा के आदेश की मांग करनी पड़ सकती है, वह निर्विवाद रूप से एक उपयुक्त दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है या कुछ अन्य उपायों का सहारा ले सकता है जैसा कि अन्य कानूनों में प्रदान किया गया है।

14.2 हम निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं -

ए.

इस न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा संघ बनाम में अपने पहले के निर्णय में। वी. पी. शांता, (1995) 6 एस. सी. सी. 651, जहां यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उपभोक्ता मंच चिकित्सा लापरवाही के माध्यम से सेवा में कमी के बारे में शिकायतों से निपटने में सक्षम थे, यह निम्नानुसार देखा गयाः बी " 37. ..... जटिल मुद्दों से जुड़ी शिकायतों में विशेषज्ञों के साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता होती है, शिकायतकर्ता को उचित राहत के लिए दीवानी अदालत से संपर्क करने के लिए कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 3 जो यह निर्धारित करती है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे, उपभोक्ता के अधिकार को संरक्षित करती है -

सी.

आवश्यक राहत के लिए दीवानी अदालत से संपर्क करें। "(जोर दिया गया)

14.3 हमारे मन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के संबंध में भी इसी तरह का प्रस्ताव प्रासंगिक है। अधिनियम, डी की धारा 14 लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अलावा और उनका अपमान नहीं करने के कारण, एक पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम की धारा 10 के तहत परिकल्पित उपचार का लाभ उठाने के बजाय राहत के लिए दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है। स्पष्ट रूप से, अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा केवल एक अतिरिक्त उपाय की प्रकृति में है जिसे उसी राहत के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने के स्थान पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

ई.

15. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि चूंकि धारा 10 के तहत मुआवजे का दावा केवल संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए यह उन उपायों के पूर्ण विकल्प के रूप में खड़ा नहीं होता है जिन्हें एक दीवानी अदालत में चलाया जा सकता है और एक पूर्ण-स्तरीय मुकदमे के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, भले ही दीवानी अदालत की कुछ शक्तियां अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे का निर्धारण करने वाले निर्धारित एफ प्राधिकरण को प्रदान की जाती हैं।

16. अधिनियम और नियमों की पूरी योजना के मूल्यांकन पर, और धूलाभाई (उपरोक्त) द्वारा निर्धारित परीक्षणों को देखते हुए, इस प्रकार हमारी यह सुविचारित राय है कि अधिनियम सामान्य कानून के तहत हर्जाने के दावे के स्थान पर नहीं है और इसे रोकता है जो एक दीवानी मुकदमे में दीवानी अदालत के समक्ष निर्धारण जी के लिए गिर सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम खुद को इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिनियम दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से बाहर नहीं करता है

निहितार्थ, और यह कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील को अनुमति देने में गलती की है कि अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमा विचारणीय नहीं था।

एम. हरिहरसुधन बनाम आर. करमेगम और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

17. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने पर कि वाद ए विचारणीय है, गुण-दोष के आधार पर वाद का आदेश देने के लिए आगे बढ़ा। याचिका

सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत दायर उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय केवल मुकदमे की स्थिरता से संबंधित प्रारंभिक बिंदु पर लिया गया था। हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा विचारणीय है, गुण-दोष के आधार पर पहली अपील की सुनवाई के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।

बी.

18. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। ए. एस. की पहली अपील पर निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। (एम. डी.) योग्यता के आधार पर 2018 की सं. 143।

एस.

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी